253

बिहार सरकार
वित्त विभाग
निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार सरकार के भू–राजस्व लगान बही के मुद्रण एवं आपूर्ति करने हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी मुद्रकों से कागज, आवरण एवं निर्माण से संबंधित नमूनों के साथ प्रति सेट बही का समेकित न्यूनतम दर (टेक्स्ट पृष्ठों एवं कवर पेज सहित) सीलबंद लिफाफे में निविदाएँ दिनांक–02.01.2017 के अपराह्न 3.00 बजे तक संयुक्त सचिव (लेखा), वित्त विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय कक्ष में निविदा के शर्तों के अनुरूप आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में खोली जायेगी। इसमें निविदा दाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भी भाग ले सकते हैं। यह निविदा दो लिफाफा प्रणाली अंतर्गत होगी एवं तकनीकी निविदा में असफल निविदादाता की वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी। इस निविदा के नोडल पदाधिकारी श्री सुदेश कुमार लाल, उप सचिव, वित्त विभाग हैं ।

1	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	02.01.2017 (3:00 बजे अप0 तक)
2	निविदा खुलने की तिथि एवं समय	02.01.2017 (3:30 बजे अप0)
3	अर्नेस्ट मनी	60,000/–(साठ हजार रुपये)
4	नोडल अधिकारी	श्री सुदेश कुमार लाल, उप सचिव, वित्त विभाग मो0 न0–9334456131.

निविदा प्रपत्र वित्त विभाग के website: finance.bih.nic.in पर उपलब्ध है तथा उसे डाउनलोड किया जा सकता है ।

संयुक्त सचिव (लेखा)

252

बिहार सरकार
वित्त विभाग

निविदा प्रपत्र

बिहार सरकार के भू–राजस्व लगान बही के मुद्रण एवं आपूर्ति करने हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी मुद्रकों से कागज, आवरण एवं निर्माण से संबंधित नमूनों के साथ प्रति सेट बही का समेकित न्यूनतम दर (टेक्स्ट पृष्ठों एवं कवर पेज सहित) सीलबंद लिफाफे में निविदाएँ दिनांक–02.01.2017 के अपराह्न 3.00 बजे तक संयुक्त सचिव (लेखा), वित्त विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय कक्ष में निविदा के शर्तों के अनुरूप आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में खोली जायेगी। इसमें निविदा दाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भी भाग ले सकते हैं। यह निविदा दो लिफाफा प्रणाली अंतर्गत होगी एवं तकनीकी निविदा में असफल निविदादाता की वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी। इस निविदा के नोडल पदाधिकारी श्री सुदेश कुमार लाल, उप सचिव, वित्त विभाग हैं ।

A. कार्य का विवरण–

1. आवश्यकता के आधार पर भू–राजस्व लगान रसीद बही की एक लाख प्रतियाँ छपायी जानी है। इसमें टेक्स्ट पृष्ठों की संख्या 100 (50 की दो प्रति) होगी । मुद्रण सामग्री का Sample निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है तथा Sample बही नोडल पदाधिकारी से संपर्क कर देखा जा सकता है ।
2. टेक्स्ट पृष्ठों कवर पृष्ठों का मुद्रण सिंगल कलर में होगा।
3. लगान रसीद बही के टेक्स्ट पृष्ठों का मुद्रण एक कलर में 60 GSM S.S. मैपलिथो कागज पर तथा कवर पृष्ठ का मुद्रण एक कलर में 120 G.S.M. ब्राउन पेपर पर होगा।
4. लगान रसीद बही का साईज 15 cm x 21 cm होगा।
5. प्रत्येक भू–राजस्व लगान बही का बाइन्डिंग कवर सहित साईड स्टीच होगा ।
6. सभी टेक्स्ट पृष्ठ दो प्रतियों में मशीन नम्बरड होंगे और इन नम्बरों को विभाग द्वारा मुद्रक को उपलब्ध कराया जायेगा ।

B. शर्तें –

1. मुद्रण का कार्य अति गोपनीय ढंग से किया जाना होगा। किसी भी हालत में मुद्रण सामग्री से संबंधित तथ्य किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराये जा सकते हैं। गोपनीयता भंग होने पर चयनित निविदादाता पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

2. सभी भू–राजस्व लगान रसीद बही का मुद्रण–आदेश निर्गत होने की तिथि से पाँच दिनों के अंदर गोपनीय रूप से मुद्रित कर उपलब्ध कराने होंगे।

3. मुद्रित सामग्री को प्रभारी अधीक्षक, प्रेस एवं फार्म्स, गया (सरकारी प्रेस गया, जेल परिसर) में पहुँचाने की भी जिम्मेवारी निविदा दाता की होगी। इस हेतु कोई अग्रिम राशि एवं परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

4. रसीद बही के प्रारूप तैयार करने में किये गये व्यय हेतु किसी प्रकार का दावा निविदा दाता द्वारा नहीं किया जायेगा।

5. निर्धारित समय सीमा के अंदर (मुद्रित सामग्री विहित गंतव्य पर) नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति में भुगतेय राशि में से 50 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकेगी तथा वैधानिक कार्रवाई अलग से की जायेगी।

6. किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार वित्त विभाग को सुरक्षित रहेगा।

7. फर्म/निविदादाता को उद्योग विभाग एवं वाणिज्य–कर विभाग में निबंधित होने का प्रमाण संलग्न करना होगा।

8. फर्म को Indian Bank Association (IBA) से, सिक्युरिटी प्रिंटिंग हेतु निबंधित होना अनिवार्य होगा।

9. फर्म को ISO 9001:2008 क्वालिटी सर्टिफिकेशन युक्त होना चाहिए।

10. फर्म पिछले तीन वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर कम–से–कम रू0 75 (पचहत्तर) लाख होना चाहिए तथा निविदा के साथ पिछले तीन साल का Audited Balance Sheet संलग्न करना होगा।

11. निविदादाता को मुद्रण का कम से कम 3 (तीन) वर्षों का कार्य अनुभव अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

12. निविदा के साथ उक्त वांछित, कार्य अनुभव एवं मुद्रित सामग्री का नमूना संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में 60,000 (साठ हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट बिहार सरकार (Government of Bihar) के नाम का संलग्न करना अनिवार्य होगा। असफल निविदा दाता को अर्नेस्ट मनी की राशि निविदा के निस्तार के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।

14. 15 cm x 21 cm साईज में कागज का नमूना संलग्न करना होगा।

C. <u>**मुद्रण दर**</u> :– उपर्युक्त अंकित "कार्य का विवरण" के क्रमांक 1 से 6 तक में निहित आवश्यकता अनुरूप मुद्रण दर प्रति भू–राजस्व लगान रसीद बही का समेकित मुद्रण दर, कागज, स्टिचिंग / बाईंडिंग, परिवहन एवं डेलीवरी, सभी देय कर आदि समस्त व्यय सहित सम्मिलित होंगे ।

उपर्युक्त वर्णित "कार्य विवरण" (A) अन्तर्गत क्रमांक 1 सामान्य प्रकृति की तथा 2 से 6 तकनीकी प्रकृति की है। साथ ही "शर्त्तों" (B) के अधीन क्रमांक 1 से 6 सामान्य प्रकृति की तथा 7 से 14 तकनीकी प्रकृति एवं "मुद्रण दर" (C) वित्तीय प्रकृति की है। तकनीकी एवं वित्तीय प्रकृति से संबंधित निविदा अलग–अलग सील बंद लिफाफे में देना होगा। Technical Bid (कार्य विवरण एवं शर्तें) के खोले जाने के उपरांत ही सफल निविदादाता का Financial Bid (मुद्रण दर) खोला जायेगा।

संयुक्त सचिव (लेखा)
वित्त विभाग. ।

Sch. XIV.—F.No. 180 V

बि०स०मु०, पटना। X.

रसीद मालगुजारी — मालकी / रैयती। 106

नाम सर्कल। मौजा मय — नाम — वल्दियत — सावन्दी

थाना वो थाना नम्बर — वो सकुनत। नम्बर

00151351

अराजी नगदी	अराजी भावली	तप... हिसाब लगान भावली।

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया की हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	
माल-गुजारी (नकदी)						
माल-गुजारी (भावली)						
सेस						
*सुद						
मुतफरकात						
मीजान						

09.12.18

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत	बकाया				मोतालबा हाल	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
माल- गुजारी (नकदी)						
माल- गुजारी (भावली)						
सेस ...						
*सुद ...						
मुतफरकात ...						
मीजान अदायकारी						

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) —

(2) नाम देहिन्दा —

(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायो पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि.स.मु.(राजस्व) 1—2011